

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 185/2011
संस्थित दिनांक 06.05.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

— अभियोगी

वि रु द्ध

संतोष पिता औंकार दलाल भीलाला,
उम्र 28 वर्ष, निवासी रेलवा खूर्द

— अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री एल.के.जैन

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 24-03-2017 को घोषित)

01— पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 71/2011 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 20.03.2011 को रात 8:30 बजे ग्राम मण्डवाड़ा अंजड़ ठीकरी रोड़, लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल क्र. एम.पी-46-एम.-5817 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने और उसी समय उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत लीलाबाई पति धन्नालाल भीलाला को घोर उपहृतियां कारित करने के आधार पर, भादवि की धारा 279, 338 का अभियोग है।

02— प्रकरण में एकमात्र स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.11 को सुरपाल के थाना अंजड़ में प्रधान आरक्षक के पद पर रहने के दौरान उसे लीलाबाई, निवासी मंडवाड़ा की प्री. एम.एल.सी प्राप्त होने पर उसके द्वारा जाँच के दौरान साक्षी धन्नालाल, राजेश, चन्दूबाई, जयराम, के कथन लेने पर उन्होंने बताया कि लीलाबाई पैदल-पैदल उसके घर पर जा रही थी तभी पीछे से मोटरसाईकिल नं. एम.पी.46 एम.बी 5817 का चालक संतोष ने मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक लाया तथा लीलाबाई को टक्कर मार दी जिससे लीलाबाई को बाये तथा दाहिने पैर में, कमर में, सिर के पीछे चोट आई, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पाये जाने से थाना अंजड़ में अपराध क्र. 71/11 का दर्ज कर, नक्शा मौका बनाया गया, आरोपी के पेश करने पर मोटरसाईकिल क्र. एम.पी.46 एम.बी. 5817 प्रपत्रों सहित जप्त की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया

गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 338 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 20.03.11 को रात के करीब 8:30 बजे ग्राम मण्डवाड़ा, अंजड़ ठीकरी रोड़ पर, लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-46— एम.-5817 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर लीलाबाई का जीवन संकटापन्न किया ?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत लीलाबाई पति धन्नालाल को घोर उपहतियां कारित की ?

— विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

06— उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में लीलाबाई (अ.सा.1) का कथन है कि घटना करीब एक वर्ष पहले की है, वह उसकी बहु को उसके मकान पर छोड़ने के लये पैदल जा रही थी तभी अंजड़ तरफ से एक मोटरसाईकिल आयी और उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके बाये पैर में चोट आयी। मोटरसाईकिल कौन चला रहा था उसे इसकी जानकारी नहीं है तथा वह नहीं बता सकती है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी मोटरसाईकिल चला रहा था या नहीं। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त घटना वाले दिन मोटरसाईकिल तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया था और उसे टक्कर मार दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को कथन प्रदर्श पी 1 में ए से ए भाग पर मोटरसाईकिल का नं. एम. पी.46 एम.बी. 5817 बताया था अथवा वह आरोपी को बचाने के लिये सही बात नहीं बता रही है।

08— रेखाबाई (अ.सा.2), धन्नालाल (अ.सा.3), दिनेश (अ.सा.4), चन्दुबाई (अ.सा.5), जयराम (अ.सा.6), राजेश (अ.सा.10) तथा अमरसिंह (अ.सा.8) ने भी

आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाकर लीलाबाई को टक्कर मारने तथा टक्कर मारने से चोटें आने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी रेखाबाई, धन्नालाल, दिनेश, चन्दुबाई, जयराम तथा राजेश इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी, वे घटना के समय घटना स्थल पर नहीं थे तथा उन्होंने आरोपी को मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारते हुए नहीं देखा। दिनेश (अ.सा.4) का यह भी कथन है कि घटना वाले दिन आरोपी मोटरसाईकिल चला रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना होने के बाद घटना स्थल पर पहुंचा था उस समय उसकी मां वहां बैठी थी। उसे याद नहीं है कि उसने आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल चलाने की बात किसी को बताई थी या नहीं।

09— डॉ. पी.के. पोरवाल (अ.सा.11) दिनांक 30.03.11 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत लीलाबाई पति धन्नालाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी मंडवाडा को उसके पुत्र दिनेश पिता धन्नालाल द्वारा लाने पर उसका मेडिकल परीक्षण करने पर उसे प्रदर्श पी 8 में दर्शित चोटें होने के संबंध में कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आहत को आई चोटें स्वयं किसी गहराई वाले स्थान पर गिरने से भी आ सकती है।

10— सुखपाल (अ.सा.9) का कथन है कि दि. 25.03.2011 को घायल लीलाबाई पति धन्नालाल की प्री.एम.एल.सी तथा एक्सरे प्लेट जॉच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा आहत लीलाबाई, साक्षीगण चंदुबाई, धन्नालाल व दिनेश के कथन लेने पर उन्होंने आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल क्र. एम.पी.46 एम.बी. 5817 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लीलाबाई को पीछे से टक्कर मार देना बताया था जिसके आधार पर उसके द्वारा प्रदर्श पी 6 प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की थी जिसे ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी 7 का नक्शा मौका तैयार किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी के पेश करने पर हीरो होण्डा मोटरसाईकिल क्र.एम.पी.46 एम.बी. 5817 मय प्रपत्रों के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 4 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आहत लीलाबाई तथा साक्षीगण जयराम, चंदुबाई, धन्नालाल, दिनेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि साक्षी जयराम, चंदुबाई व धन्नालाल ने उसे वाहन चालक का नाम नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि लीलाबाई ने उसे यह कथन नहीं दिया था कि घटना के समय वाहन संतोष चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन उसकी मर्जी से लेखबद्ध कर लिये थे।

11— कृष्ण कुमार (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 29.03.2011 को उसने थाना अंजड़ में जप्त मोटरसाईकिल क्र.एम.पी.46 एम.बी. 5817 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर वाहन के सभी पार्ट्स ठीक अवस्था में होना पाये थे तथा कोई यांत्रिकीय

त्रुटि नहीं पाई थी। साक्षी ने परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 भी प्रमाणित किया है।

12— इस प्रकार आहत लीलाबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में ही आरोपी द्वारा उक्त मोटरसाईकिल चलाना नहीं बताया है और अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को मोटरसाईकिल तेजी या लापरवाही से चलाते हुए लाया तथा उसे टक्कर मार दी। शेष अभियोजन साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण में आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल तेज गति या लापरवाही पूर्वक चलाकर लीलाबाई (अ.सा.1) को टक्कर मारने के संबंध में कथन किया है, लेकिन प्रपरीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त साक्षीगण घटना के समय उपस्थित नहीं थे और उन्होंने आरोपी को मोटरसाईकिल चलाते हुए अथवा मोटरसाईकिल की टक्कर लीलाबाई को मारते हुए नहीं देखी है। ऐसी स्थिति में घटना दिनांक, स्थान व समय पर मोटरसाईकिल क्र.एम.पी.46 एम.बी. 5817 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाकर आहत लीलाबाई को गंभीर उपहति कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये गये हैं तो अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

13— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 279, 338 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त संतोष पिता औंकार दलाल भीलाला, उम्र 28 वर्ष, निवासी रेलवा खूर्द को भादवि की धारा 279, 338 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

14— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक एम पी 46—एम.बी/5817 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.